

मु० नम्बर.....किस्म.....

.....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

नाम न्यायालय

उभय पक्ष का

दिनांक

फर्द अहकाम

30/10/25

काज यह प्रार्थनापत्रापीठ की फर्द से पेश होने पर न्यायाधीश जी की कोर्ट ने प्रार्थना पत्र में उचित विचार है कि पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाने एवं वादीपक्ष के द्वारा वाद/प्रार्थना पत्रको फाँटने की चर्चा आने के कारण खारिज कर दिये जाने पर फर्द सिधे आने का विवेक किया है।

Not a press copy

न्यायाधीश जी के आदेश

अतः प्रार्थनापत्र/वादीपक्ष का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर मुठ नं० 10/2024 उनवानी सौभ्या वलय तुलसीराम राव वावरा शाहमराट्ट, लकासा एवं व्याधी निवेद्याला के Not Press में खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र के सब तुलसीराम टोकल बाद लकीव मन्वर से कम की जाकर डालिये जाकर है।

अतः मुझे न्यायाधीश जी के आदेश पर मुनाफा उपाय।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कतौली)

नाम न्यायालय
उभय पक्ष का
सौभ्या वलय
तुलसीराम राव
वावरा शाहमराट्ट
लकासा एवं व्याधी
निवेद्याला के
Not Press में
खारिज किया
जाता है।